न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या :— 05/2018
राजस्व अपील :—अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम

अपीलांटस

1. बंशीराम पुत्र हणुताराम
2. प्रतापराम पुत्र हणुताराम
3. मोहनराम पुत्र हणुताराम
4. रामप्यारी पुत्री हणुताराम
5. लाछी पुत्री हणुताराम
   जाति विश्नोई निवासी कानासर
   तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स

1. जीवणराम पुत्र बलवन्ताराम
2. मुल्तानाराम पुत्र उदाराम
3. पूनाराम पुत्र मालूराम
4. लेखराम पुत्र मालूराम
5. मनीराम पुत्र मालूराम
6. लाधूराम पुत्र मालूराम
7. सुगनी पत्नि मालूराम
   जाति विश्नोई निवासी कानासर
   तहसील बाप जिला जोधपुर
8. सरपंच ग्राम पंचायत कानासर

उपस्थित :—

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से
3. श्री रिछपालसिंह सोलंकी अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 5 व 7 की ओर से
4. रेस्पोडेंट्स सं. 6 व 8 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला जोधपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक :— 05/12/2022

अपीलांट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि अपीलांटस के दादा, रेस्पोडेंट सं. 2 के पिता एवं रेस्पोडेंटस सं. 3 ता 6 के दादा तथा रेस्पोडेंट सं. 7 के ससुर उदा पुत्र भारता के नाम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1235 रकबा 222—04 बीघा, खसरा नम्बर 1289 रकबा 116—08 बीघा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 1—14 बीघा, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0—13 बीघा, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0—04 बीघा कुल रकबा 341—03 बीघा सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर में स्थित है। ग्राम कानासर में से नया राजस्व ग्राम नारायणनगर सृजित हो जाने से खसरा नम्बर 1288 रकबर 0—04 बीघा खसरा नम्बर 1289 रकबा 116—08 बीघा भूमि नारायणनगर की सीमा में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में उदा पुत्र भारता के नाम दर्ज थी और उदा फौत हो चुके है जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है :—

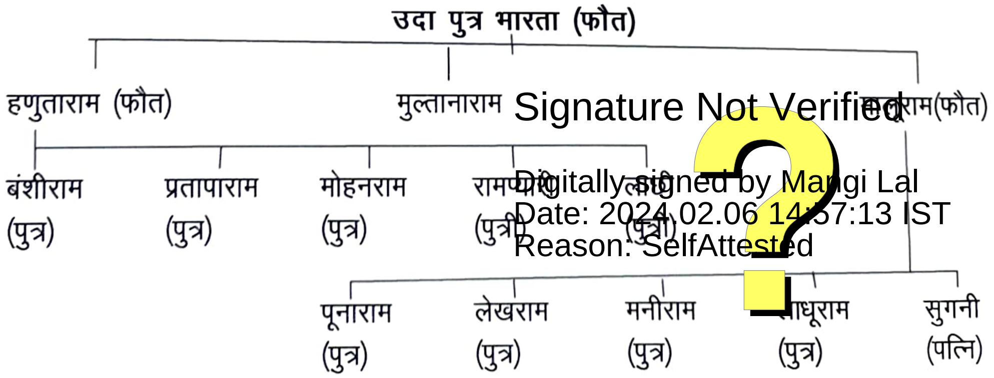

उपखण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वंशावली अनुसार उदाराम के तीन पुत्र थे हणुताराम के वारिसान अपीलांटस, मालूरामके वारिसान रेस्पोडेंटस सं. 3 ता 7 है। इन तीनों का अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। लेकिन जब उदा फौत हुए तो रेस्पोडेंट सं. 1 ने मुतवफी उदा के फौतेदगी का नामान्तरकरण सं. 89 मौजा कानासर पटवार हल्का से मिलावट कर हणुताराम, मालूराम, मुल्तानाराम के साथ सरासर गलत रूप से एवं उदा का वारिसान नहीं हेतु हुए भी अपना दर्ज करवा लिया। जबकि विधि अनुसार उदा के प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना था लेकिन रेस्पोडेंट सं. 1 ने बिना विधिक अधिकार के एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्ध जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करवा लिया जो नामान्तरकण काबिल खारिज के है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस का अपने 1/3 हिस्से पर एवं रेस्पोडेंट सं. 2 का अपने 1/3 हिस्से पर एवं रेस्पोडेंटस सं. 3 ता 7 का अपने 1/3 हिस्सा पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और अपीलांटस व रेस्पोडेंटस सं. 2 ता 7 का उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांटस ने अपनी अलग–अलग रहवासीय ढाणियां बना रखी है जिसमें अपीलांटस अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग करते आ रहे है। रेस्पोडेंट सं. 1 का उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा और न ही रेस्पोडेंट सं. 1 उदा का पौता ही है। नामान्तरकरण सं. 89 स्वीकृत करते समय कब्जे बाबत भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की इसलिये भी यह नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय एवं सिद्धांत के विरूद्ध होने से भी काबिल खारिज के है। नामान्तरकरण सं. 89 मौजा कानासर स्वीकृत करते समय अपीलांटस के पूर्वज हणुताराम को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त नामान्तरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलांटस के पूर्वज हणुताराम के बेक की गई और न ही उदा के सही वारिसान की जांच की गइ। रेस्पोडेंटस सं. 1 उदा का प्रथम श्रेणी का वारिसान नहीं होते हुए भी मुतवफी उदा के फौतेदगी के नामान्तरकरण में रेस्पोडेंट सं. 1 को सरासर गलत तरीके से शामिल कर स्वीकृत कर लिया गया उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। वर्तमान में अपीलांटस के पिता फौत हुए तो अभी दिनांकक 03/08/2018 को अपने पिता के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि में तुम्हारे पिता का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं है तुम्हारे पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज है तो अपीलांटस ने उक्त भूमि की जमाबंदी व नामान्तरकरण मांगा तो पटवारी हल्का ने दिनांक 03/08/2018 को बताया कि तब तुम्हारे दादा उदा फौत हुए तो उदा फौतेदगी के नामान्तरकरण में हणुताराम, मलूराम, मुल्तानाराम पि. उदा के साथ पौता बताकर जीवणराम पुत्र बलवन्ताराम का नाम भी दर्ज कर दिया गया है इसलिये तुम्हारे पिता के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं है। अपीलांट को दिनांक 03/08/2018 से पूर्व उक्त नामान्तरकरण की जानकारी किसी भी सोर्स से नहीं थी इसलिये अपीलांटस को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कन्डोन दिया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा [illegible] के दादा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के पिता एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 6 [illegible] रेस्पोडेन्टस संख्या 7 के ससुर उदा पुत्र भारता के नाम से खा[illegible] 222–04 बीघा, खसरा नम्बर 1289 रकबा 116–08 [illegible] रकबा 1–14 बीघा, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0–13 बीघा, खसरा नम्बर 1288 रकबा 0–04 बीघा कुल रकबा 341–03 बीघा सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर में स्थित [illegible]ाम कानासर में से नया राजस्व ग्राम नारायणनगर सृजित हो जाने से खसरा नम्बर 1288 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 116–08 बीघा भूमि नारायणनगर की सीमा में स्थित है। उदाराम के तीन पुत्र थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

हणुताराम के वारिसान अपीलाण्टस मालूराम के वारिसान रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 7 है। इन तीनों का अपने–अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा व काश्त है। लेकिन जब उदा फौत हुवे तो रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने मुतवफी उदा के फौतेदगी का नामान्तरण संख्या 89 मौजा कानासर पटवारी हल्का से मिलावट कर हणुताराम, मालूराम, मुल्तानाराम के साथ सरासर गलत तरीके से एवं उदा का वारिसान नहीं होतु हुवे भी अपना नाम दर्ज करवा लिया। जबकि विधि अनुसार उदा के प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज किया जाना था लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने बिना विधिक अधिकार के एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्व जाकर उक्त नामान्तरण को स्वीकृत करवा लिया जो नामान्तरण काबिल खारिज है। वर्तमान में अपीलाण्ट के पिता फौत हुव तो अभी दिनांक 03/08/2018 को अपने पिता के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि में तुम्हारे पिता का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं है तुम्हारे पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज है तो अपीलाण्टस ने उक्त भूमि की जमाबंदी व नामान्तरण मांगा मो पटवरी हल्का ने बताया कि दिनांक 03/08/2018 को अपीलाण्टस को बताया कि जब तुम्होर दादा उदा फौत हुवे तो उदा के फौतेदगी के नामान्तरण में हणुताराम, मलूराम मुल्तानाराम पि. उदा के साथ पौता बताकर जीवणराम पुत्र बलवन्ताराम का नाम भी दर्ज कर दिया गया है। इसलिये तुम्हारे पिता के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं है। अपीलाण्टस को दिनांक 03/08/2018 को पूर्व उक्त नामान्तरण की जानकारी किसी भी सोर्स से नहीं थी इसलिये अपीलाण्टस को उक्त अपील पेश करने हुई देरी के लिए कण्डोन दिया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1 की तरफ से श्री ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया, रेस्पोडेंट्स सं. 2 ता 5 व 7 की तरफ से श्री रिछपालसिंह सोलंकी ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया, रेस्पोडेंटस सं. 6 व 8 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से रेस्पोडेंट्स सं. 6 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस निम्नानुसार है–

अपीलांटगण ने उदाराम पि. भारता के वारिसान बनकर अपील पेश की है जो अपने आप को उदा पुत्र भारता की तीसरी पीढि बता रहे है जबकि उदा पि. भारता की पुत्रियों को तथा उदा के मृतक पुत्र मालू पुत्र उदा की पुत्रियों को बिना पक्षकार बनाये अपील पेश की है जो पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे वर्तमान अपील में उदा की तीन पुत्रियों को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया है इसलिये वर्तमान राजस्व अपील आधे–अधूरे पक्षकार संयोजित करके पेश की गई होने से तथा गलत तथ्यों पर पेश की गई होने से चलने योग्य नहीं है

। अपीलार्थी ग्राम कानासर के नामान्तरण संख्या 89 जो कि अर्द्वशताब्दी पूर्व में स्वीकृत हुआ है के विरूद्व पेश की गई होने से म्याद बाधित है तथा उदा के पुत्रों के द्वारा [illegible] के विरूद्व अपने जीवनकाल में कभी भी एतराज नहीं किया जबकि वर्तमान [illegible] उदा के तीसरी पीढि द्वारा की गई होने से किसी भी प्रकार [illegible] की जावे। खातेदार उदा के वारिसानों में से अपीलार्थीगण के पिता हणुताराम [illegible] उदा तथा मालूराम पुत्र उदा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से अपने अपने हिस्से का आज [illegible] लगभग 40 वर्ष पूर्व में बेचान किया जिसमें अपीलार्थीगणों के पिता हणुताराम द्वारा अपन हिस्सा 1/4 आना बताया है तथा एक हिस्सा अपने भाई मालू के बंट में आना एक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-आप

मुल्तानाराम के बंट में माना तथा एक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जीवणराम के बंट में आना स्वीकार किया है इसलिये अपीलार्थीगण कानूनन स्टोपल के सिद्वान्त से बाधिक होने से वर्तमान अपील गुणावगुण पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। वक्त सेटलमेंट से पूर्व विवादित भूमि खातेदार भारता जो अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगणों के पड़दादा के कब्जा काश्त में थी तथा भारता के दो पुत्र थे बड़ें पुत्र का नाम गुला था तथा छोटे बेटे का नाम उदा था, भारता तथा भारता के बड़े पुत्र गुला का देहान्त सेटलमेंट से पूर्व हो जाने से सर्वप्रथम विवादित भूमि उदा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। भारता के बड़े पुत्र गुला का देहान्त संवत 2011 में हो जाने से खातेदार गुला का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया। वक्त सेटलमेंट गुला के एक नाबालिग पुत्र तथा उसकी पत्नि सोमारी थी। भारता के बड़े पुत्र गुला की मृत्यु सेटलमेंट से पूर्व हो जाने से तथा सम्वत 2013 में गुला की पत्नि सोमारी ने दूसरा विवाह अपने देवर खातेदार उदा से कर ली तथा उदा ने अपने भाई के नाबालिग पुत्र बलवन्ता की परवरिश की तथा सोमारी को पत्नि के रूप में रखने लगा तात्कालीन समय में स्त्री के नाम भूमि दर्ज करने की प्रथा न के बराबर थी तथा गुला का एक मात्र पुत्र बलवन्ता नाबालिग होने से भारता की पूरी की पूरी भूमि उदा पुत्र भारता के नाम से रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हुई खातेदार उदा के द्वारा सम्वत 2016 में दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी पत्नि का नाम तुलसी था जिससे उदा के तीन पुत्र हुए बडेत्र पुत्र का नाम हणुताराम जिसके अप्रार्थीलार्थी वारिसान उसके छोटे मालू जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 तथा सबसे छोटा मुल्तानाराम है तथा तीन पुत्रियां तुलसी से पैदा हुई दूसरे विवाह वाली उदा की पत्नि तुलसी का देहान्त खातेदार उदा से पूर्व हो गया था तथा खातेदार उदा के पहले वाले विवाह से सोमारी के कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार उदा के परिवार में खातेदार उदा उसकी दो पत्नियां उसके तीन पुत्र तथा तीन पुत्रियां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पिता बलवन्ता थे। उदा की दूसरी पत्नि तुलसी का देहान्त उदा से पूर्व हो जाने से उदा के परिबार मे पहली पत्नि सोमारी तथा उदा के संताने थी तथा गुला के एक मात्र पुत्र बलवन्ता का विवाह वगैरा सभी सामाजिक कार्य उदा द्वारा किया गया तथा उदा के साथ ही रहता था तथा जिसके पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पैदा हुआ तथा बलवन्ता उदा से पहले फौत हो गया तथा खातेदार उदा सम्वत 2024 को फौत हो गया, उदा के परिवार में उदा की प्रथम पत्नि सोमारी जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की दादी थी जो उदा के एक वर्ष बाद फौत हो गई लेकिन उदा के फौतेदगी अपीलाधीन नामान्तरण काफी समय बाद में भरा गया होने से उदा के फौतेदगी नामान्तरण में उदा की पहली पत्नि सोमारी का नाम नहीं दर्ज हो सका जबकि उदा के विरासत मे मिलने वाली भूमि में उसकी पत्नि सोमारी तथा तीन पुत्र हकदार थे लेकिन उदा के फौतेदगी नामान्तरण उदा की मृत्यु के तुरन्त बाद नहीं भरा जाकर काफी समय बाद में भरा गया पूर्व में न्यायालय हाजा में अपीलार्थीगणों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 द्वारा दिनांक 28/08/2017 को एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसे दावा संख्या 144/2017 थे जो दावा दिनांक नम्बर 2019 को खारिज हो गया। अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन अपील अपीलार्थी की जानकारी से म्याद बाहर पेश की गई होने से खारिज योग्य है।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा [illegible] राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया [illegible] की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण के [illegible] एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1. अपीलान्टस बंशीलाल आदि ने रेस्पोडेंटस के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम नारायणनगर व कानासर की वादग्रस्त आराजी उदाराम के फौत होने के बाद अपीलान्टस के पिता हणुताराम, रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

संख्या 02 मुल्तानाराम और रेस्पोडेन्टस संख्या 3 ता 7 के पिता मालूराम प्रत्येक कके 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन हणुताराम, मुल्तानाराम और मालूराम के साथ साथ रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने भी उदाराम का वारिस न होते हुए भी हिन्दू उतराधिकार के विरूद्ध नामान्तरण संख्या 89 स्वीकृत करवा लिया जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्टस का 1/3 हिस्से, रेस्पोडेन्टस संख्या 02 का 1/3 हिस्से और रेस्पोडेन्टस संख्या 03 ता 07 का 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। नामान्तरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्टस के पूर्वज हणुताराम को सुनवाई का अवसर न प्रदान करते हुए विधि विरूद्ध नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। अतः नामान्तरण संख्या 89 खारिज किये जाने योग्य है।

2. अपीलाण्टस ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलाण्टस के पिता फौत हुए तो अभी दिनांक 03.08.2018 को अपने पिता के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गए तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि में तुम्होर पिता का 1/3 हिस्सा न होकर 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उदा की फौतेदगी के पश्चात नामान्तरण हणुताराम, मालूराम, मुल्तानाराम पुत्रगण उदा के साथ पौत्र बताकर जीवणराम पुत्र बलवंताराम के नाम दर्ज हुआ है। अपीलाण्टस को दिनांक 03.08.2018 से पूर्व नामान्तरण की जानकारी नहीं थी इसलिए अपीलाण्टस को उक्त अपील पेश करने में हुयी देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के जवाब व बहस के अनुसार न्यायालय हाजा में अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 07 द्वारा दिनांक 28.07.2017 को न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसके दावा संख्या 144/2017 थे जो दावा दिनांक नम्बर 2017 को खारिज हो गया। अपीलान्टस द्वारा अपील की जानकारी से म्याद बाहर पेश होने के कारण खारिज योग्य है।

नामान्तरण संख्या 89 की प्रतिष्ठियों के अनुसार उदा पुत्र भारता की फौतेदगी के पश्चात नामान्तरण हणुताराम, मालूमराम, मुल्मानाराम पिसरान उदाराम कौम विश्नोई जीवणराम पुत्र बलवंताराम कौम विश्नोई साकिन देह के नाम दर्ज हुआ। कॉलम संख 14 में अंकन है कि उदाराम की फौतेदगी के पश्चात जिंदा पुत्रों व पौत्रों के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया। जबकि यह उल्लेख नहीं है कि उदा पुत्र भारता और जीवणराम पुत्र बलवंताराम का क्या सम्बन्ध है। अगर बलवंताराम उदा का पुत्र है तो क्या बलवंताराम की नामान्तरण स्वीकृति के समय मृत्यु हो चूकी थी क्या जीवणराम बलवंता का एक ही पुत्र था आदि का उल्लेख नामान्तरण में नहीं है। स्पष्ट अपील गुणहीन नहीं है, ऐसी स्थिति में म्याद के सम्बंध में उदार दृष्टि रखना विधि की प्राथमिक आवश्यकता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649 राजस्थान सरकार बनाम श्योचंद में माननीय उच्च न्यायालय ने व आर.आर.टी. 2004(1) पेज 375 प्रेमचंद बनाम कमलाबाई में माननीय राजस्व मण्डल में अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब उपशमन पर विचार करते हुए सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए। यदि मेरिट पर प्रकरण है तो विलम्ब माफ कर देना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की और से प्रस्तुत जवाब और लिखित बहस में यह स्वीकार किया गया है कि अपील में उदाराम पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो प्रकरण के [illegible] चलते चलने योग्य नहीं है, अर्थात उदाराम की पुत्रियां भी है लेकिन नामान्तरण संख्या 89 में पुत्रियां भी वंचित रही है जो कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्ध है।

4. रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के अनुसार अपीलार्थी के पिता हणुताराम पिसरान उदा तथा मालूराम पुत्र उदा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अपने हिस्से का आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व में बेचान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

गया था जिसमें अपीलार्थीगणों के पिता हणुताराम द्वारा अपने हिस्से में 1/4 आना बताया है तथा एक हिस्सा अपने भाई मालूराम के बंट में आना एक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 मुल्तानाराम के बंट में आना तथा एक हिस्सा रेस्पोडेन्ट 01 जीवणराम के बंट में आना स्वीकार किया है इसलिए अपीलार्थीगण कानूनन स्टोपल के सिद्वान्त से बाधित होने से वर्तमान अपील चलने योग्य नहीं है।

न्यायालय हाजा के अभिमत में पंजीकृत बैनामे में जो हक व हिस्से का अकंन है वो जमाबंदी में प्रविष्टि के अनुसार अंकित किया जाता है। अतः पंजीकृत बैनामे में अपीलार्थी के पिता द्वारा स्वंय के हिस्से में 1/4 हिस्सा आना स्वीकार करना एक **'निश्चयात्मक सबूत'** नहीं है।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता बलवन्ता भारत के पौत्र थे। भारता के पिता बलवन्ता भारता के पौत्र थे। भारता के दो पुत्र गुला और उदा थे। गुला और उसकी पत्नि सोमारी से बलवन्ता का जन्म हुआ लेकिन गुला की मृत्यु के पश्चात् उदा ने सोमारी को पत्नी के रूप में रखा व बलवन्ता की परवरिश की। उदा की दूसरी पत्नि तुलसीसे तीन पुत्र व तीन पुत्रिया हुये अर्थात उदा के दो पत्नियां तीन पुत्रियां, रेस्पोडेट संख्या 01 के पिता बलवन्ता थे। लेकिन पत्रावली में इस लिखित बहस के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरण संख्या 89 विधि विरूद्व होने तथा प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण तथा पश्चात्वर्ती नामान्तरण प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण इन्हें अपास्त कर तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित होगा कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उदा पुत्र भारता के विधिक वारिसान की जांच करते हुये नये सिरे से नामान्तरण स्वीकृत करें।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5, परिसीमा अधिनियम 1963 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को माफ किया जाता है। ग्राम ग्राम कानासर के खसरा नम्बर 1235 रकबा 222.04 बीघा, खसरा नम्बर 1233 रकबा 01.14, खसरा नम्बर 1234 रकबा 0.13 बीघा व नारायणनगर के खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 1289 रकबा 116.08 बीघा में उदा की फौतेदगी के पश्चात दर्ज नामान्तरण संख्या 89 विधि विरूद्व होने तथा प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त कर तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त खसरों की आराजी में सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उदा पुत्र भारता के विधिक वारिसान की जांच करते हुए विधि के प्रावधानों की पालना में पुनः निर्णय पारित कर नए सिरे से नामान्तरण स्वीकृत करे। पत्रावली इसी अनुसार निर्णित होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:57:13 IST
Reason: SelfAttested

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)